

NEW INDUSTRIAL POLICY OF INDIA

Q. (A) : भारत सरकार के हाल में औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए?

Explain the resent Industrial policy OR New Industrial policy of Government of India?

Ans : →

भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति 1990 में बनाई गई। उसके बाद 14 जुलाई 1991 को भी अपनी आँधी-गिक नीति में सरकार ने कुछ परिवर्तन किया। इन औद्योगिक नीतियों को नई औद्योगिक नीति कहा जाता है।

देश का औद्योगिक विकाश के लिए भारत सरकार ने स्वब स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1998 में प्रथम औद्योगिक नीति बनाई इसके बाद 1956, 1977 एवं 1980 मैं भी देश के आवश्यकता अनुसार औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई। 1980 के औद्योगिक नीति को भी नई औद्योगिक नीति कहा जाता है।

भारत सरकार के हाल में नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना एवं वधु उद्योग उद्योगों को भी निर्यात परख (Export oriented) बनाना है।

नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं लाइसेंस प्रणाली को अधिक सहज बनाना है। जिससे औद्योगिक विकाश की गति तीव्र हो।

नई औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:-

- (1) लघु उद्योग की विनियोग सीमा को 35 लाख से बढ़कर 60 लाख कर दिया गया।
- (2) जो उद्योग पूर्णता निर्यात उद्योग होगे उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) लघु उद्योगों के तकनीकी उत्पान कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायगा जिससे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुए दुसरे उद्योगों की प्रतियोगिता में ठहर सकें।
- (4) कृषि पर आधारित औद्योगिक इकाईयों की विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (5) लघु उद्योगों, सहायक उद्योगों एवं कृषि पर 'आधारित उद्योगों को वित्तीय घर (FICIAL (ONSATION) एवं अन्य प्रेरणा प्रदान की जायगी।

नई नीति के अन्तर्गत जो पिछड़े क्षेत्र में हो एवं जिनका विनियोग 25 करोड़: रूपये तक हो तथा जो पिछड़े क्षेत्रों में हो एवं जिनका विनियोग 75 करोड़ रूपये तक का हो उन्हें लाइसेन्स एवं पंजीकरण से युक्त कर दिया गया है। किसी फर्म के अगर प्लान्ट एवं मैशनरी के कुल मूल्य के 30% तक मूल्य के पूँजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा तो इस आयात पर स्वतः स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पूर्ण स्वीकृति के बिना ही कोई उपयोगी किसी विदेशी कम्पनी से तकनीकी स्थानांतरण का एग्रीमेन्ट रोयल्टि (करार) कर सकता है। अगर घरेलू विक्रय पर 1. का भुगतान 5% एवं निर्यात पर 8% से अधिक न हो।

भारत सरकार की 1990 की औद्योगिक नीति देश के अन्य औद्योगिक नीतियों से भिन्न है क्योंकि इसमें औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास को एक मात्र महत्व दिया गया है। लेकिन रस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को निश्चित भी नहीं किया गया है। इसके विपरीत नई नीति नीजी क्षेत्र पर आधारित है। नीजी दक्षत्रों को विनीयोग के लिए अनेक घुट एवं प्रेरणाएँ प्रदान की गई हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भारत में विनियोग के द्वार खोल दिये गए हैं।

1991 के औद्योगिक नीति

कांग्रेस सरकार के औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई जिसमें पुराने आँख औद्योगिक नीति में अनेक सुधार किये गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अधिक दक्ष एवं प्रतियोगी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सकें।

1991 के औद्योगिक नीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

1. 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों के लिए लाईसेन्स प्रणाली समाप्त कर दी गई हैं।
2. M.R.T.P Act में कुछ सुधार किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत बड़े कम्पनियों को अपने क्षमता, प्रसार एवं विभेदीकरण के लिए सरकार को पूर्व अनुपति नहीं लेनी पड़ेगी। इससे भारतीय फर्म विदेशी बाजार से प्रतियोगिता कर सकेंगे।
3. सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र को संकीर्ण बना दिया गया। प्रारंभ में 17 देशों को सार्वजनिक उपक्रम के लिए सुरक्षित रत्वा गया था लेकिन इसे घय कर अब सिर्फ 8 कर दिया गया है। इन 8 में मुख्यतः सुरक्षा सम्बन्धि मुख्य हैं।
4. छोटे उद्योग अपने कुल शेयर का 24% तक हिस्से बड़े उद्योगों के पास बंच तक सकेंगे जिससे उनका पूँजीगत एवं तकनीकी विकास सम्भव हो सकेगा।
5. प्रारंभ में वित्तीय संस्थाओं का अधिकार था कि वे नीजी फर्मों के कर्ज को Equity हिस्से में बदले सके। लेकिन अगस्त 1991 में यह व्यवस्था की की गई कि ये वित्तीय संस्थाए कर्ज को हिस्से में बदलने 1 के लिए दबाव नहीं डालेंगे। हिस्सों में बदलने की अनुमति तभी दी जाएगी जब यह व्यवसायिक कारणों से अनिवार्य हो जाय!
6. 200 करोड़ रुपये से NATIONAL RENE "WAL FUND की स्थापना की जायगी जिससे प्रामिकों को तकनीकी परिवर्तन एवं आधुनीकीकरण का भार वहन करना ना पड़े। यह उद्योगों के मजदूरों के प्रति प्रशिक्षण एवं पुनः नियोजन में प्रयोग किया गया जायगा।

विदेशी विनियोग

प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे नई तकनीकी विषमत विपलन (Marpeting दक्षता एवं आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था का देश में आग भा 'आगमन होगा। इसके अन्तर्गत विदेशी हिस्से की सीमा 40% से बढ़कर 50% कर दिया गया। इसके फलस्वरूप जो विदेशी विनियमय का वहगमन होगा उसकी क्षतिपूर्ति नियति नियर्यात से कर ली जायगी। यह विदेशी तकनीकी एवं पूँजी के आयात के सम्बन्ध में बड़े अन्तराष्ट्रीय फर्मों से बातचीत करेगी !

समीक्षा : →

भारत की वर्तमान औद्योगिक एवं आर्थिक नीति को देखते हुए इस औद्योगिक नीति को उपयुक्त कहा जा सकता है। यद्यपि इसके अन्तर्गत नीजी क्षेत्रों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है एवं विदेशी उद्योगपतियों के लिए सभी द्वार खोल दिए गए हैं। इससे आय के वितरण को विषमता बढ़ेगी लेकिन आय प्राप्ति के पहले वितरण की बात निर्रथक है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जिस प्रकार आमंत्रित किए गए हैं वह हमें East India Company की याद दिलाती है। लेकिन वर्तमान समय में हम यह उम्मीद नहीं कर सकती है कि यह पैसे के बल पर प्रशासन पर हावी हो जायेगी 'जाये जाएगे। उद्योगों के विकाश एवं प्रसार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा लाईसेन्स पंजीकरण एवं लाल फीता शाही था। इसे वर्तमान औद्योगिक नीति में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि इसके अन्तर्गत देश का तीव्र गति से औद्योगिकरण होगा एवं भारत एक विकसित देश हो जाएगा।